

न्यायालय, समाहर्ता, खगड़िया।

30/05/2017 (17/12)

आदेश-पत्रक

2017 (17/12) - 02/17

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

2120 19/5 2017

आदेश पत्रक-ता०

से

जिला-खगड़िया

सा०

सन्

केस का प्रकार-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम  
नं० और तारीख  
1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02.

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी  
तारीख-सहित  
3.

21.05.2017

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1712/सी०आर० दिनांक 10.05.2017 द्वारा परबत्ता (भरतखंड) थाना काण्ड संख्या-128/2017 दिनांक 14.04.2017 धारा-47(ए०) बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब 180 एम०एल० का 48 बोतल एवं 750 एम०एल० का 05 बोतल में से 180 एम०एल० का दो बोतल एवं 750 एम०एल० का दो बोतल जांच हेतु उत्पाद रसायण परीक्षक एवं मद्यनिषेध विभाग, बिहार, पटना को जांच हेतु भेजा गया है। शेष 180 एम०एल० का 46 बोतल तथा 750 एम०एल० का 03 बोतल विदेशी शराब थाना के मालखाना में रखा हुआ है। थानाध्यक्ष परबत्ता (भरतखंड) का प्रतिवेदन संलग्न है।

विदेशी शराब 180 एम०एल० का 48 बोतल एवं 750 एम०एल० का 05 बोतल में से 180 एम०एल० का दो बोतल एवं 750 एम०एल० का दो बोतल जांच हेतु उत्पाद रसायण परीक्षक एवं मद्यनिषेध विभाग, बिहार, पटना को जांच हेतु भेजा गया है। शेष 180 एम०एल० का 46 बोतल तथा 750 एम०एल० का 03 बोतल सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जा रहा है कि परबत्ता (भरतखंड) थाना कांड में जप्त देशी/विदेशी शराब को अपने देख रेख में नष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, परबत्ता (भरतखंड) /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including dates and names like '21.05.2017' and '2017 (17/12) - 02/17'.